न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व प्रा० पत्र सं० : 19/2020
GCMS NO. : 2020/00040

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. उगमाराम पुत्र राणाराम जाति–देवासी निवासी पाटवा तहसील जैतारण जिला–पाली।		1. हडमानराम पुत्र राणाराम 2. भीकाराम पुत्र राणाराम 3. पोलाराम पुत्र बादरराम 4. सुगनाई पत्नी हडमानराम 5. आबुडी पत्नी भीकाराम 6. तुलछाई पुत्री पुकाराम 7. मोरकी पत्नी बादर 8. धर्मादेवी पुत्री बादर जातियान–देवासी निवासीगण पाटवा तहसील जैतारण जिला–पाली। 9. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 17/06/2020

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 28/10/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा ग्राम पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली राज० में सायल एवं गैरसायलान की सामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1110 रकबा 04 बीघा कुल रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा आई हुई है। जिस पर माफिक हिस्से अनुसार सायल एवं गैरसायलान मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है जिसको प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावे। सायल व गैरसायलान एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा 08 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि में सामलाती काश्त करते आ रहे है मौखिक बंटवाडा हो रखा है व उक्त कृषि भूमि आम रास्ते पर आई हुई है। गैरसायलान संख्या बल मे अधिक है व सायल का हिस्सा हडपना चाहते है कुछ दिनो पूर्व ही सामाजिक पंचायती बुलाकर आपसी षडयन्त्र रचकर सायल को समाज से बहिष्कृत करा दिया जिसका मुकदमा पुलिस थाना जैतारण में अन्वेषणाधीन है एवं उसके बाद लगातार सायल को तंग व परेशान करते है एवं जमीन पर जबरन कब्जा कर सायल को जमीन से बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

करने की धमकीया दे रहे है एवं एलानिया धमकी दी कि हम तुम्हे व तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर देगे व उक्त खसरे मे तुम्हे काश्त नही करने दे जबकि सायल उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। सायल ने दिनांक 04/06/2020 को आपसी सहमति से भूमि का नापचौप कर बंटवाडा करने का कहा तो गैरसायलान् ने बंटवाडा करने से इन्कार कर दिया व जबरन सायल के हिस्से की भूमि में हल चलाने लगे, सायल ने मना किया तो उनके साथ मारपीट की जिसकी रिपोर्ट सायल ने पुलिस थाना जैतारण मे दी एवं उसके बाद गैरसायलान ने एलानिया धमकी दी कि हम बंटवाडा हरगिज नही होने देगे एवं आम रास्ते की मुख्य भूमि पर जबरन कब्जा कर लेगे व तुम्हे तुम्हारे हिस्से की भूमि से बेदखल कर देगे जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वादपत्र बाबत् बंटवाडा स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा मौके पर सायल का उसके हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जे काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे प्रमाणित है यदि गैरसायलान बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देते है एवं सायल को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से हमेशा-हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया बढेगी। इसलिए गैरसायलान द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् के समक्ष सादर पेश अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि राजस्व मौजा पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 1024, 1110 कुल रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे माफिक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार सायल अपने हिस्से मे काश्त करे, काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे एवं फसल आदि बोवे तो गैरसायलान उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार नातेदार, नौकर-चाकर, हाली-एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 6 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1 से 5 व 7 से 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है तथा सरहद मौजा पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नम्बर 1024 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1110 रकबा 04 बीघा कुल रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा जमीन आई हुई है। जिसका नजरी नक्शा सायल ने गलत बनाकर के पेश किया है। जिसमे खसरा नम्बर 1110 रकबा 04 बीघा का हवाला नक्शे मे कही पर भी सायल का होने बाबत अंकित नही है। तथा न ही नजरी नक्शे मे सायल के अपने हिस्से की कृषि भूमि का न ही पडौस अंकित किये है। बाकि फिकरा गलत है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 02 गलत होने से अस्वीकार है। सायल ने उक्त फिकरा बढा-चढा कर अंकित किया है। तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर बंटवाडा पक्षकारान के बाप दादा के वक्त से हो रखा है तथा तब से लेकर आज दिन तक माटे एवं पालिया मौके पर कायम है। तथा गैरसायल ने कभी कोई सामाजिक पंचायती नही करवायी तथा न ही कोई षडयंत्र रचा तथा न ही सायल को समाज से बहिष्कृत किया गया। सायल स्वयं झगडालु प्रकृति का व्यक्ति है आये दिन शराब पिकर परिवार व समाज मे लोगो को तंग व परेशान करता रहता है। तथा सायल पर तीन चार फौजदारी केसेज भी हो रखे है जो श्रीमान् ए.सी.जे.एम. साहब न्यायालय जैतारण एवं एस.सी.एस.टी. कोर्ट पाली मे लम्बित है। तथा सायल गैरसायलान पर झूठे मुकदमे करने का आदि है। सायल की नियत में खोट है जो गैरसायलान की जमीन हडपना चाहता है। इस कारण से मौके पर बापू

दादा के वक्त से जमीन का बंटवाडा होने के पश्चात भी झुठे मुकदमे करता रहता है तथा गैरसायलान ने सायल को कभी भी ऐलानिया धमकी नही दी न ही उसे कभी बेदखल करने की धमकी दी है। अतः इस पैरे का बकाया फिकरा बनावटी गलत एवं आधारहीन है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 03 का जवाब है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पक्षकारान के बाप दादा के बक्त से मौके पर बटी हुई है तथा मौक पर पुरानी माटे व पालीया कायम की हुई आज दिन तक मौजुद है। इसलिये नये सिरे से बंटवाडा करवाने की कोई आवश्कता नही है तथा सायल को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति नही हो रही है। सायल स्वयं झगडालु व्यक्ति है तथा उसके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयो मे फौजदारी मुकदमे लम्बित है इसलिये सायल किसी भी प्रकार से श्रीमान् न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आधारहीन बनावटी एवं काल्पनिक तथ्यो पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का विश्लेषण एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली पर अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम पाटवा के खसरा नम्बर 1104 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नम्बर 1110 रकबा 04 बीघा जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा, जमाबंदी संवत् 2074–77 के अनुसार प्रार्थी/सायल एवं अप्रार्थीगण/गैरसायलान की संयुक्त शामलाती अविभाजित आराजी है तथा जिसके कानूनन बंटवारे बाबत् वाद प्रार्थी/सायल की ओर से दायर किया गया जो विचाराधीन है। प्रार्थी/सायल ने हस्तगत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से दौराने मूल वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। प्रार्थी/सायल ने यह अभिकथन किये कि सायल द्वारा गैरसायलान को भूमि का नापचौप कर बंटवारा करने को कहने पर गैरसायलान ने बंटवारे से इंकार कर दिया व सायल को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने को आमादा है। गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना में प्रार्थी के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए यह अभिकथन किये कि वादग्रस्त आराजी पूर्व से ही बंटी हुई है जिसका नये सिरे से बंटवारा करवाने की आवश्यकता नहीं है।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रकट कथनों, तर्कों एवं भू–अभिलेखीय दस्तावेज के अवलोकन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की संयुक्त अविभाजित सह–खातेदारी भूमि है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सह–खातेदारी आराजी में किसी भी खातेदार को अन्य खातेदार से विशिष्ट एवं अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। चुंकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारान के मध्य बंटवारे बाबत् वाद विचाराधीन है अतः वादग्रस्त आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होनें, किसी प्रकार के नवीन निर्माण से तथा सह–खातेदारी भूमि के किसी विशिष्ट भू–भाग के हस्तांतरण से प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वभाविक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रत्येक सह–खातेदार के हक–हिस्से तक साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चुकिं पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सह–खातेदारी की अविभाजित आराजी है। सहखातेदारी शामलाती आराजी में प्रत्येक अभिलिखित सह–अभिधारी का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके हक में निहित होना माना जाता है। प्रत्येक सह–खातेदार को अविभाजित शामलाती आराजी के उपयोग/उपभोग करने, उसे विकसित करने तथा उसकी संरक्षा करने का भी समान अधिकार निहित होता है। हस्तगत प्रकरण में सह–खातेदारान के मध्य विधिवत अपने हक–हिस्से के विभाजन तक वादग्रस्त आराजी की वर्तमान स्थिति को सुरक्षित करना आवश्यक है ताकि सुविधा का संतुलन असंतुलित न हो।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के साथ–साथ अप्रार्थीगण जो कि वादग्रस्त आराजी के सह–खातेदार है के पक्ष में भी समान रुप से साबित हुए है। वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की अविभाजित शामलाती आराजी है, जिसमें प्रत्येक सह–खातेदार को अपने हक–हिस्से तक अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग का पूर्ण अधिकार होता है। यदि कोई सह–खातेदार अपने हक–हिस्से से अधिक और अन्य सह–खातेदार के हक–हिस्से का जबरन उपयोग/उपभोग करता है तो इससे प्रभावित सह–खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः यह बिन्दू भी केवल प्रार्थी के पक्ष में साबित न होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों के पक्ष में उनके हक–हिस्से तक साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी की वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करने व किसी विशिष्ट भू–भाग के रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा ग्राम पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायल एवं गैरसायलान की सामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 1024 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 1110 रकबा 04 बीघा के विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तांतरण नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी की वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/10/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:58:16 IST
Reason: SelfAttested